बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर

यमुनापुरम कामर्शियल काम्पलैक्स, महात्मा गांधी मार्ग, बुलन्दशहर–203001 (उ0प्र0)

पत्रांक................................/वि0प्रा0/2019–20 दिनांक........................

आवंटन/किश्त पत्र
का प्रारूप

सेवा में,

....

....

....

विषय :– प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत रमपुरा फेस–1 योजना मे दुर्बल आय वर्ग (चार मंजिले) श्रेणी के भवन सं0 .... के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उक्त विषयक में सहर्ष सूचित करना है कि लॉटरी ड्रॉ दिनांक .... में आपके आवेदन पत्र सं0 .... के क्रम में प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत रमपुरा फेस–1 योजना के में दुर्बल आय वर्ग .... श्रेणी के अन्तर्गत भवन सं0 ....(........तल पर स्थित) आपके पक्ष में आवंटित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1.	योजना का नाम	: प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी)	2	सम्पत्ति की श्रेणी	: दुर्बल आय वर्ग
2.	योजना कोड	: PMAY-1	4	आवंटी कोड	:
5.	भवन संख्या	:	6	अनुमानित मूल्य	: रू0 4,50,000.00
7.	पंजीकरण धनराशि	: 5000.00	8	ब्याज	: 9.50 प्रतिशत

9. भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी वाली राशि क्रमशः (रू0 1.50+रू01.00 = रू0 2.50 लाख)
10. भवन के सापेक्ष कुल जी0एस0टी0 (as applicable) रू0
11. आवंटी द्वारा कुल देय धनराशि रू0

आपके पक्ष में उक्त भवन का आवंटन आप द्वारा प्रदत्त सूचनाओं/अभिलेखों, जिनका जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) बुलन्दाश्हर व सूडा के सत्यापन के आधार पर सही मानते हुए किया गया है, जिसके मिथ्या या असत्य पाये जाने पर अथवा किसी दिये गये तथ्य को गलत पाये जाने पर अथवा पंजीकरण पुस्तिका के किसी भी नियम/शर्त के उल्लंघन की दशा में आपका आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

यह आवंटन/किश्त पत्र अनंतिम (Provisinaly) रूप से निर्गत किया जा रहा है। कृपया रू0 45,000.00 पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर जमा करने का कष्ट करें। अवशेष धनराशि निम्नानुसार मासिक किश्तों की धनराशि 9.50 प्रतिशत ब्याज सहित बैंक ड्राफ्ट/नकद एच0डी0एफ0सी0 बैंक, डी0एम0 रोड, बुलन्दशहर में जमा करने का कष्ट करें :–

क्र0सं0	मूल धनराशि रू0	ब्याज रू0	देय किश्त रू0	देय अन्तिम दिनांक
1				
2				
3				
....				
....				
....				
....				
58				
59				
60				

अन्य शर्तें :–

1. बैंक ड्राफ्ट उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर के पक्ष में देय तथा बुलन्दशहर में भुगतान योग्य होना चाहिए। चैक जमा करने पर प्राधिकरण के खाते में धनराशि क्रेडिट होन की दिनांक ही जमा की दिनांक मानी जायेगी। निर्धारित अवधि में भुगतान न होने की दशा मे देय राशि पर विलम्ब अवधि हेतु 12.50 प्रतिशत ब्याज अतिरिक्त देय होगा।
2. पूर्ण देय धनराशि जमा कराने के उपरान्त पट्टा विलेख की कार्यवाही पूर्ण कर कब्जा लिया जाना आवश्यक है।

Scanned by CamScanner

3. आवंटी द्वारा उक्त भवन का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त स्वयं उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य को हस्तान्तरणीय नहीं होगा। केवल आवंटी की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिसान को हस्तान्तरित किया जा सकेगा।
4. यदि देय तिथि को अवकाश रहता है तो अगली तिथि देय तिथि मानी जायेगी।
5. भवनों का आवंटन लीजहोल्ड आधार पर किया जा रहा है।
6. आवंटी को समस्त मूल्य जमा कर एवं समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अपने खर्चे पर 3 महीने के अन्दर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में पट्टा विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा।
7. बिजली एवं पानी इत्यादि के कनैक्शन आवंटी को अपने खर्चे पर लेने होंगे।
8. भवन की देयता के विरूद्ध बकाया धनराशि को वसूल करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को है। प्राधिकरण उक्त धनराशि की वसूली के लिए भू–राजस्व की भांति रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर धनराशि की वसूली कर सकता है।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

(कृपया भविष्य में किसी भी पत्राचार हेतु आपको नाम पते के साथ–साथ भवन संख्या, आवंटी कोड एवं योजना कोड का उल्लेख अवश्य करने का कष्ट करें।)

भवदीय

सचिव
बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण
बुलन्दशहर।

Scanned by CamScanner